मुंबई पत्तन प्राधिकरण

दिनांक 22 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठक क्र.1 में बोर्ड के संकल्प

क्र. सं.	बीआर क्र.	विषय	संकल्प पारित	विभाग/ प्रभाग
1.	1	पांच कर्मचारियों के खिलाफ सेवा के अंतिम चरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू न किए जाने तथा उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाने के अनुरोध के संबंध में।	बोर्ड ने नोट के पैरा 10 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। ***(श्री प्रदीप नलावडे और श्री ज्ञानेश्वर वाडेकर असहमत)***	यातायात
2.	2	मुंबई पत्तन प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के उपयोग हेतु 3 साल की अवधि के लिए वाहनों को किराए पर लेना - निविदा सं. जीएडी 02/2021 का विस्तार।	बोर्ड ने नोट के पैरा 4 में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	साप्रवि
3.	3	महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) द्वारा पीएनजी की आपूर्ति के लिए मुंपप्रा की कोलाबा आवासीय कॉलनी को घरेलू पीएनजी आपूर्ति प्रदान करना।	बोर्ड ने नोट के पैरा 12 में दिए गए वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) के प्रस्ताव को और मज़गांव आवासीय कॉलोनी में 91 इकाइयों को समान शर्तों पर पीएनजी आपूर्ति प्रदान करने के लिए एमजीएल को नियुक्त करने को अनुमोदन दिया।	कल्याण
4.	4	फॉस्बेरी हाऊस में लिफ्ट उपलब्ध कराना और संबंधित सिविल कार्य - फॉस्बेरी हाउस में लिफ्ट उपलब्ध कराने के कार्य को आईपीआरसीएल को आउटसोर्स करने का अनुमोदन।	बोर्ड ने नोट के पैरा 8 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया, जिसमें नोट के पैरा 4 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ नामांकन के आधार पर आईपीआरसीएल को संबंधित कार्य सौंपने का प्रस्ताव था।	स्थापत्य
5.	5	मुंबई पत्तन प्राधिकरण में अनुबंध के आधार पर प्रशिक्षु पायलटों और पूर्ण टन भार वाले पायलटों के पारिश्रमिक को बढ़ाना-संशोधित परिश्रमिक, नियम और शर्तों के लिए अनुमोदन।	बोर्ड ने नोट के पैरा 5 में दिए गए उप संरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	समुद्री
6	6	चीनी निर्यात को आकर्षित करने के लिए दि.28.12.2023 के पत्तन के परिपत्र का पुनर्वैधीकरण।	बोर्ड ने नोट के पैरा 13 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	यातायात

क्र. सं.	बीआर क्र.	विषय	संकल्प पारित	विभाग/ प्रभाग
7.	7	मुं.पो.ट्र. पेंशन विनियमावली के विनियम 8 के तहत श्री. चंद्रकांत एल. गलाटे, पूर्व-सुरक्षा गार्ड # 500, साप्रवि-सुरक्षा प्रभाग, मुं.प.प्रा. के विरुध्द अनुशासनात्मक कार्रवाई।	बोर्ड ने नोट के पैरा 12 में दिए गए मुख्य सुरक्षा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	सुरक्षा
8.	8	महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 का दि.3.11.2021 से प्रवर्तन - नए मुंबई पत्तन प्राधिकरण श्रेणी I और श्रेणी II कर्मचारी (हिंदी भाषा परीक्षा) विनियमावली 2025 को बनाना और अधिसूचित करना।	बोर्ड ने सरकार की मंजूरी के अधीन, महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 72 (2) (i) के तहत अनुलग्नक II में निर्धारित मुंबई पत्तन प्राधिकरण श्रेणी I और श्रेणी II कर्मचारी (हिंदी भाषा परीक्षा) विनियमावली 2025 को अधिसूचित करने के लिए मसौदा अधिसूचना को अनुमोदित किया।	साप्रवि
9.	9	दूसरी सुरक्षा लाँच के 9 दिनों के लिए (19.11.2024 से 27.11.2024 तक) विस्तार और अतिरिक्त निष्पादन के लिए कार्योत्तर अनुमोदन।	बोर्ड ने नोट के पैरा 5 में दिए गए उप संरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	समुद्री
10.	10	निविदा सं. ई-103ए/2018 : 15 वीडी पर घरेलू क्रूज टर्मिनल (डीसीटी) का संचालन और रखरखाव - अनुबंध अवधि का विस्तार।	बोर्ड ने नोट के पैरा 15 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	स्थापत्य
11.	11	संविदा एमईईडी.18/2014 के विस्तार और अतिरिक्त निष्पादन लागत के लिए अनुमोदन का अनुरोध।	बोर्ड ने नोट के पैरा 5 में दिए गए उप संरक्षक के प्रस्ताव को पैरा 5(i) में संशोधन के साथ निम्नानुसार अनुमोदित किया : 5(i) समय विस्तार : एमईईडी.18/2014 की चालू संविदा को दि.19.11.2024 से 31.7.2025 तक या नई सुरक्षा लांच के आरंभ किए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाएगा।	समुद्री
12.	12	राष्ट्रीय पत्तन जलमार्ग एवं तट प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्लूसी), आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)-बोर्ड के अनुसमर्थन का अनुरोध।	बोर्ड ने नोट के पैरा 5 में दिए गए उप संरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	समुद्री

क्र. सं.	बीआर क्र.	विषय	संकल्प पारित	विभाग/ प्रभाग
13.	13	दि. 20 सितंबर 2024 और दि. 27 सितंबर 2024 को आयोजित बोर्ड बैठकों में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट।	बोर्ड ने दि.20.9.2024 और दि.27.9.2024 को आयोजित बोर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट नोट की।	साप्रवि
14.	14	12 वीडी के खुले क्षेत्र में जेआरई टैंक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (जेआरईटीटीपीएल) को बेस ऑइल और अन्य गैर-खतरनाक तरल बल्क कार्गो को टैंकों में लाइसेंस आधार पर प्रहस्तन के लिए 6 महीने के लिए या निविदा-सह-नीलामी प्रक्रिया पूरी होने तक, जो भी पहले हो, के आबंटन का विस्तार।	बोर्ड ने एलएसी की सिफारिशों को अनुमोदन देने और बैठक में चर्चा के अनुसार प्रस्ताव में संशोधनों के अधीन बोर्ड नोट के पैरा 7 में विस्तृत विवरण के अनुसार टैंको में दि.2.12.2024 से छह महीने के लिए महीने-दर-महीने आधार पर बेस ऑयल और अन्य गैर खतरनाक तरल बल्क कार्गो के प्रहस्तन की अनुमति देने के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
15.	15	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत महापत्तन प्राधिकरणों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।	बोर्ड ने नोट के पैरा 4 से संबंधित अनुलग्नक I पर दिए गए वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	वि.स.एवं. मु.ले.अ.
16.	16	एक एएसटीडीएस - 50 टी.बीपी, हार्बर टग को मैनिंग, संचालन, रखरखाव और पूर्ण तकनीकी प्रबंधन सहित 7 वर्षों के लिए किराए पर लेना, जिसे आगे तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।	बोर्ड ने नोट के पैरा 5 में उप संरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया और उक्त निविदा में बोर्ड की ओर से सभी कार्य और विलेख तैयार करने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया।	समुद्री
17.	17	सिविल अभियांत्रिकी और यांत्रिकी एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न लघु परियोजनाओं के लिए मेहनताना आधार पर ईआइएल को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करना तथा उनके साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करना।	विचार-विमर्श आस्थगित।	एमईईडी
18.	18	दिनांक 11 फरवरी 2025 को आयोजित बोर्ड की बैठक संख्या 8 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	दि. 11.2.2025 के बीआर सं.193 में संशोधनों और बीआर सं.204 में चर्चा के नोट में संशोधनों के साथ बोर्ड ने दि.11.2.2025 को आयोजित बोर्ड की बैठक सं.8 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।	साप्रवि

क्र. सं.	बीआर क्र.	विषय	संकल्प पारित	विभाग/ प्रभाग
19.	19	सेवा प्रदाता से 7 वर्षों के लिए, जिसे एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है, 3 फायर टेंडरों को जन शक्ति और ट्रेलर इकाई पर जल-निष्कासन (डिवाटरिंग) पंप के साथ किराये पर लेना। प्राक्कलन सं.डीसी/पीएफएस/स्था.-01/2025	बोर्ड ने नोट के पैरा 5 में दिए गए उप संरक्षक के प्रस्ताव को इस प्रावधान के साथ अनुमोदित किया, कि निविदा में कठोर और उचित दंड का प्रावधान किया जाए तथा इसे एसएलए और निविदा में शामिल किया जाए तथा कार्यान्वयन के दौरान इसका कड़ाई से पालन किया जाए।	समुद्री
20.	20	'मुं.प.प्रा. में गोदी और अन्य कार्यस्थलों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर जुर्माना' लगाने की नीति में सुधार।	बोर्ड ने नोट के पैरा 9 में दिए गए उप संरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया कार्य बशर्ते नीति के व्यापक प्रचार के लिए उसे दि.1 जून, 2025 से कार्यान्वित किया जाएगा।	समुद्री
21.	21	निविदा सं. एमईईडी.21/2022 - मुं.प.प्रा. में जवाहर द्वीप और पीरपाऊ में समुद्री तेल टर्मिनल पर एससीएडीए और स्वचालन प्रणाली की संकल्पना, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और प्रारंभ - संविदा पूरा होने की अवधि के विस्तार को अनुमोदन के संबंध में ।	बोर्ड ने नोट के पैरा 3 में दिए गए मुख्य यांत्रिक अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	एमईईडी
22.	22	मुं.प.प्रा. संपदा, कॉटन डिपो (फेज II) में पे एंड पार्क के संचालन और प्रबंधन के लिए ई-टेंडर-सह-ई-निलामी - नई निविदा आमंत्रित करना (2025-2028)।	बोर्ड ने नोट के पैरा 4 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	स्थापत्य
23.	23	अतीत में समाप्त हो चुके / दि.31.03.2024 को समाप्त हो चुके तथा भविष्य में समाप्त होनेवाले पट्टों के नवीकरण के लिए प्रस्तावित कार्य योजना पर नोट।	विचार-विमर्श आस्थगित।	संपदा
24.	24	राहुल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्ताव वापस लेना : निविदा सं.ई-74/2024 "डीपीसीआर 2034 के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग के लिए 30 वर्षों के पट्टे की अवधि के लिए अग्रिम प्रीमियम के आधार पर ई-निविदा सह ई-नीलामी पद्धति के माध्यम से वर्ली प्रभाग में मुं.प.प्रा. भूखंड का आबंटन,	बोर्ड ने नोट के पैरा 6 में दिए गए संपदा प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	संपदा

क्र. सं.	बीआर क्र.	विषय	संकल्प पारित	विभाग/ प्रभाग
		जिसका क्षेत्रफल लगभग 264.75 वर्ग मीटर है।		
25.	25	मुं.प. प्रा. में आंतरिक रूप से सुरक्षित और गैर-आंतरिक रूप से सुरक्षित हैंडहेल्ड ट्रांस-रिसीवर वीएचएफ सेट (वाकी टॉकी) की आपूर्ति और कमीशननिंग, 05 साल की सीएएमसी-सार्वजनिक खरीद के लिए छूट(मेक इन इंडिया को प्राथमिकता)।	बोर्ड ने नोट के पैरा 3 में दिए गए मुख्य यांत्रिकी अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	एम ई ई डी
26.	26	पीरपाऊ टर्मिनल पर अग्निशमन सुविधाओं का संवर्धन (निविदा सं. सीई.टीसीवी/2020 के तहत)-तीसरे रासायनिक घाट मुं. प. प्रा. पर नए फायर वाटर पंप हाउस में अग्निशमन प्रणाली से संबंधित सिविल कार्य, पीर पाऊ, मुं.प.प्रा में तीसरे रासायनिक घाट का विकास अधिक अतिरिक्त मद के निष्पादन और समय के विस्तार का अनुमोदन।	बोर्ड ने नोट के पैरा 5 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	सिविल
27.	27	सभी निर्यात पत्तन उपयोगकर्ताओं को सामान्य वरिष्ठता के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर घाटायन आवेदन की तिथि से 7 दिनों के स्थान पर 3 दिनों के बाद घाट आबंटन की सुविधा प्रदान करना।	बोर्ड ने नोट के पैरा 12 में दिए गए यातायात प्रंबधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	यातायात
28.	28	मुं.प.प्रा. में संविदा के आधार पर सलाहकार (योजना) की नियुक्ति।	बोर्ड ने नोट के पैरा 9 में दिए गए सचिव के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	साप्रवि
29.	29	श्री राजीव जलोटा, पूर्व अध्यक्ष, मुं.प.प्रा. के नॉर्थ एंड में निवास के और विस्तार का अनुरोध।	बोर्ड ने उसके समक्ष रखी गई पूर्व नियमों और शर्तों पर नार्थ एंड में पूर्व अध्यक्ष श्री. राजीव जलोटा के दि.31.5.2025 तक निवास को अंतिम रूप से विस्तार देने के वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	कल्याण
30.	30	विकास आयुक्त, एसईईपीजेड- एसईजेड के कार्यालय को मुं.प.प्रा. अधिकारियों के क्वार्टरों का आबंटन-संबंधी।	बोर्ड ने संकल्प किया कि नौवहन महानिदेशक पर लागू नियम व शर्तें, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड पर भी लागू होंगी।	कल्याण

क्र. सं.	बीआर क्र.	विषय	संकल्प पारित	विभाग/ प्रभाग
31.	31	वाटरवेज लीजर टूरिजम प्रा. लिमिटेड, वैसल एम्प्रेस के प्राथमिकता घाटायन प्रभार।	विचार-विमर्श आस्थगित।	यातायात
32.	32	निविदा सं.ई.59/2024 - मुंबई के बैलार्ड इस्टेट में स्थित मुं.प.प्रा. के खुले भूमि क्षेत्र में उद्यान के विकास और रखरखाव तथा आर्ट कोर्ट/फूड कोर्ट स्थापित करने के लिए ई-निविदा सह ई-नीलामी -5 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर बैलार्ड इस्टेट में भूखंड के आबंटन के प्रस्ताव की स्वीकृति।	बोर्ड ने नोट के पैरा 8 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।	सिविल
33.	33	जहाज एमवी आईवीएस वेंटवर्थ/आईएन बीओएम 120241744 के लिए स्थानांतरण प्रभार।	विचार-विमर्श आस्थगित।	यातायात
34.	34	2 वर्ष की अवधि के लिए गोदी में जहाजों से प्रहस्तित खंडित बल्क कार्गो और कंटेनरीकृत कार्गो के मिलान, सुपुर्दगी और लेखे-जोखे को रिकॉर्ड करने के लिए सर्वेक्षक एजेंसी की नियुक्ति।	बोर्ड ने नोट के पैरा 21 में दिए गए यातायात प्रंबधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।	यातायात
35.	35	निविदा सं.ईएम 05/2024 - एल्फिंस्टन इस्टेट में रियान ग्रेन मार्केट में 1647.91 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले कम्पार्टमेंट 'डी' शेड का 'जैसा है जहां है' के आधार पर 10 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक किराए के आधार पर ई - निविदा सह ई - नीलामी पद्धति के माध्यम से आबंटन।	परिसंपत्ति मौद्रीकरण मामलों में बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वीकृति पत्र (एलओए) अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाएगा तथा इसकी समेकित रिपोर्ट तिमाही आधार पर अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।	संपदा
